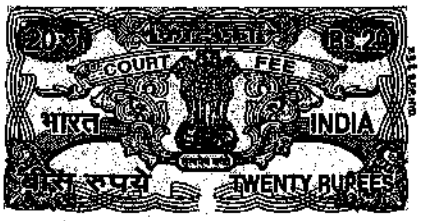

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर म.प्र.

श्रीमति पार्वती पत्नि दर्शन सिंह ठाकुर   अपील-2096-I-16

निवासी-ग्राम खिरवा तह.महराजपुर जिला छतरपुर म.प्र.

.................अपीलार्थी

//विरूद्ध//

रतन कुंवर राजा पत्नि वीरेन्द्र सिंह ठाकुर पुत्री प्रेमनारायण सिंह ठाकुर

निवासी-ग्राम खिरवा तह.महराजपुर जिला छतरपुर म.प्र.

.............प्रतिअपीलार्थी

प्रकरण कं.   तारीख पेशी

अपील अंतर्गत धारा 35 (4) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

अपीलार्थी की ओर से निम्न प्रार्थना है:-

यह कि अपीलार्थी यह अपील सम्मानीय अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर म.प्र. के प्रकरण क. 643बी/121/ 2015-16 में पक्षकार श्रीमति पार्वती बगैरह विरूद्ध रतन कुंवर राजा में पारित आदेश दिनांक 07.06.2016 से दुखित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करती है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:-

1. यह कि अपीलार्थी के काका ससुर रंजोर सिंह पिता रामदीन सिंह निवासी खिरवा तह. नौगांव जिला छतरपुर के नाम से मौजा खिरवा सर्किल महराजपुर में खसरा नं. 85,99,101,106 में कृषि भूमि शामिल शरीक खाते में दर्ज थी। जिसमें रंजोर सिंह का 1/5 का हक व हिस्सा था। रंजोर सिंह ने अपने हक व हिस्से की जमीन का वसीयतनामा अपीलार्थी के पक्ष में किया था। जिसके आधार पर अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार महोदय के न्यायालय से वसीयतशुदा संपत्ति अपना नाम दर्ज कराकर राजस्व अभिलेख दुरूस्त करवा लिये थे। तहसीलदार महोदय के आदेश के विरूद्ध एक अपील प्रतिअपीलार्थी ने अनुविभागीय अधिकारी महोदय के यहां प्रस्तुत की। जिसमें

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील-2096 ए/16 जिला छतरपुर/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-6-16	1– आवेदक के अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिंह ठाकुर उपस्थित उनके तर्क श्रवण किए गए। 2– मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह अपील म. प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 35 की उपधारा 4 के अतंर्गत प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि उनके द्वारा एक अपील अनु0वि0 अधि0 नौगांव के विरूद्व अपर आयुक्त सागर के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी जो कि आवेदक की अनुपस्थिति में निरस्त कर दी गयी जिसको पुर्नस्थापित किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसको भी अपर आयुक्त सागर द्वारा निरस्त कर दिया गया है जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गयी है। 4– आवेदक के तर्को पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी नौगांव के आदेश दिनांक 23/1/14 के विरूद्व अपील अपर आयुक्त सागर के समक्ष प्रस्तुत की थी जो कि दिनांक 1/3/16 को अदम पैरवी में निरस्त कर दी गयी जिसको पुर्नस्थापित किए जाने हेतु आवेदक द्वारा दिनांक 27/5/16 को आवेदन पत्र, धारा 5 म्याद अधि. का आवेदन पत्र एंव शपथपत्र प्रस्तुत किया गया ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त सागर को उदार दृष्टिकोण रखते हुए आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकर कर गुणदोषों पर आदेश करना चाहिए था। अतः अपर आयुक्त सागर संभाग सागर का आदेश दिनांक 7/6/16 निरस्त कर उनको आदेशित किया जाता है कि वह प्रकरण का गुण दोषों पर निराकरण करें। तदानुसार यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	